



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर, भा0 व0 से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: श्री मनोज कुमार, उप महा प्रबंधक, बियाडा, गया कलस्टर, बिहार अद्यौगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना 800004 द्वारा ग्राम-मौसमा, ब्लॉक- वारिसलीगंज, जिला- नवादा में प्रस्तावित **Standalone Cement Grinding** परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या सं०-S.O. 1533, दिनांक: 14 सितम्बर, 2006 के आलोक में श्री मनोज कुमार, उप महा प्रबंधक, बियाडा, गया कलस्टर, बिहार अद्यौगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना 800004 द्वारा ग्राम-मौसमा, ब्लॉक- वारिसलीगंज, जिला-नवादा में प्रस्तावित **Standalone Cement Grinding** परियोजना हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 10.11.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

लोक सुनवाई का वृत्त।

श्री मनोज कुमार, उप महाप्रबंधक, बियाडा, गया कलस्टर, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना 800004 द्वारा ग्राम-मौसमा, ब्लॉक-वारिसलीगंज, जिला-नवादा अन्तर्गत प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र विकास जिसमें की Standalone Cement Grinding से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 10.11.2023 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला-नवादा के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/7(C)/2449/2023, dated 24.08.2023 के आलोक में श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, नवादा (जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 10.11.2023 को अपराह्न 02:00 बजे अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला-नवादा में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 07.10.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव ने इकाई के उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि इकाई ने इण्डस्ट्रीयल एरिया, वारिसलीगंज के पास ग्राम-मौसमा, ब्लॉक-वारिसलीगंज, जिला-नवादा, बिहार में 29.77 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है। इसमें हरित पट्टी (वृक्षारोपण क्षेत्र) 9.82 हे.आई.ए. प्रस्तावित है। हरित पट्टी त्रिस्तरीय होगी। यहाँ पर विस्थापन की कोई समस्या नहीं है। प्रस्तावित इकाई की कुल अनुमानित लागत 1400 करोड़ है।

Standalone Cement Grinding के द्वारा 6 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता का सीमेंट ग्राइंडिंग की स्थापना की परियोजना है। प्रस्तावित परियोजना के लिए कच्चे माल के रूप में क्लींकर, स्लेग, फ्लाई ऐश, जिप्सम की तथा ईंधन के रूप में डीजल (80-100 लीटर प्रति घंटा) की आवश्यकता होगी।

प्रस्तावित परियोजना में उत्पादन के समय लगभग 250 कामगारों की आवश्यकता होगी तथा योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगो को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रस्तावित परियोजना के लिए 600 KLD जल की आवश्यकता है, जिसमें भू-गर्भ या भू-स्तरीय जल का उपयोग किया जायेगा। इस इकाई में पूरी तरह से सूखी प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इकाई में उत्पादन प्रक्रिया में जल की आवश्यकता नहीं है।

कुलिंग वाटर बंद परिपथ में रहेगा। औद्योगिक बहिस्त्राव शून्य होगा। घरेलू बहिस्त्राव का प्राथमिक उपचार एस.टी.पी में किया जायेगा। उपचारित बहिस्त्राव का पुनः उपयोग जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण के लिए किया जायेगा। इकाई परिसर से किसी प्रकार का बहिस्त्राव निस्सारित नहीं होगा। वर्षा जल संचयन कार्यान्वित की जायेगी। प्रस्तावित परियोजना में Vertical Roller Mill (VRM) पर आधारित प्रस्तावित सिमेंट ग्राइंडिंग यूनिट कार्य करेगी, जिसमें Ball Mill & Hot Air Generator (HAG) स्थापित किया जायेगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा तथा निर्माण सामग्री को तिरपाल से ढककर या अस्थायी शेड में रखकर ढके हुए क्षेत्र में संग्रहित किया जायेगा। साथ ही इकाई द्वारा खतरनाक अपशिष्ट जैसे कि उपयोग/खर्च किये गये तेल को Authorized Vendor को दिया जायेगा एवं Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 की प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मँगा गया।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री मुकेश कुमार, पता: चैनपुरा, वारिसलीगंज, जिला: नवादा।	इस इकाई से निकलने वाले धूलकण को रोकने का क्या उपाय है, से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस प्रस्तावित इकाई में Vertical Grinding Machine द्वारा पिसाई का कार्य किया जायेगा, साथ ही Dust Collector के माध्यम से धूल-कण को वातावरण में फैलने से रोका जायेगा, कच्चे माल को ढक कर परिचालन किया जायेगा तथा ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जायेगा। इसप्रकार श्री मुकेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया। इनके द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का विकास किया जायेगा, से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय

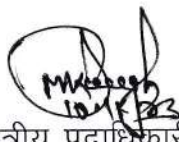
		सलाहकार द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का समुचित व्यवस्था की जायेगी साथ ही स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई की अच्छी सुविधा के लिए भवनों का जिर्नोद्वार साथ साथ सामुदायिक भवन का निर्माण किया जायेगा तथा ग्रामीण सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की जायेगी, जिससे स्थानीय लोगों के आवागमन में परेशानी न हो। इसके साथ-साथ सड़क जाम से बचने के लिए इकाई में कार्य में लगे वाहनो का परिचालन कार्य प्रायः रात्री प्रहर में किया जायेगा। इसप्रकार श्री मुकेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री सहदेव यादव, पता: साहपुर, वारिसलीगंज, जिला: नवादा।	इनके द्वारा बताया गया कि इस इकाई की स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मेरा एक सुझाव है कि इकाई स्थल के बाहर लोकहित में एक बड़ा डिस्प्लेबोर्ड लगाना चाहिए जिसमें लगातार उस इकाई स्थल एवं आस-पास का जल, वायु एवं ध्वनी की गुणवत्ता से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत करता रहे। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
3.	श्री राजकुमार (मुखिया), ग्राम पंचायत: अपसर, वारिसलीगंज, जिला: नवादा।	इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर इस औद्योगिक क्षेत्र में इस इकाई की स्थापना से यहाँ के लोगों की दिशा एवं दशा बदल जायेगा। इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ परन्तु यह भी ध्यान देना आवश्यक होगा कि यह योजना सिर्फ कागज पर ही नहीं रह जाय, इसे घरातल पर उतरना चाहिए। उपरोक्त बातों को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया तथा विश्वास दिलाया गया कि इस इकाई का संचालन हेतु सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्य प्रारम्भ करने की दिशा में अग्रेतर कारवाई की जायेगी।
4.	श्री अजीत कुमार यादव, ग्राम: कोसमा (मुखिया प्रतिनिधि), वारिसलीगंज, जिला: नवादा।	इनके द्वारा स्थानीय नागरीको को रोजगार मिलने; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार

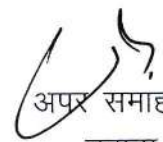
		एपलब्ध कराया जायेगा। इसप्रकार श्री अजीत कुमार यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री गोपी तिवारी, वारिसलीगंज, जिला: नवादा।	इनके द्वारा कहा गया कि यह योजना जनहित में जनता की आंक्षाओं के अनुरूप आशा की किरण जगाने वाला प्रस्ताव है।
6.	श्री सियाराम सिंह, ग्राम: मारोमुराद, वारिसलीगंज, जिला: नवादा।	इनके द्वारा कहा गया कि मैं इस योजना का विरोध नहीं कर रहा हूँ परन्तु इस प्रस्ताव से संबंधित प्रचार-प्रसार के माध्यम से समस्त स्थानीय लोगों के बीच जानकारी दी जानी चाहिए थी एवं साथ ही जन प्रतिनिधि का सुझाव भी प्रस्तावक को लेना चाहिए था, इस इकाई की स्थापना के क्रम में यह ध्यान रहे कि इकाई संचालित होने के क्रम में काफी कम प्रदूषण फैलने की संभावना रहे, अगर इस इकाई की स्थापना के उपरान्त अगर किसी भी स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु होगी तो इस इकाई को बंद कर देना होगा से संबंधित सुझाव प्रश्न के तौर पर दिया गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से संबंधित लोक सुनवाई हेतु दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 07.10.2023 को सूचना प्रकाशित की गयी थी एवं साथ ही जन सुझाव हेतु ही यह लोक सुनवाई की जा रही है। अगर इकाई कार्य में परिचालित हो रहे वाहनों के परिवहन के दौरान किसी प्रकार की असामयिक दुर्घटना होने पर राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है, जिस क्रम में दिनांक: 15.08.2021 के नये अधिसूचना के आलोक में राज्य सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जायेगा। इसप्रकार श्री सियाराम सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
7.	श्री निरंजन कुमार, ग्राम: मालीचक, वारिसलीगंज, जिला: नवादा।	इनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर चीनी मिल बंद होने के बाद से ही यहाँ के लोग रोजगार की माँग करते आ रहे हैं, पूर्व स्थापित चीनी मिल में मेरा भी जमीन लिया गया था जिसका मुआवजा का भुगतान आज तक नहीं

		मिला है। अगर इस इकाई से प्रदूषण फैलने की समस्या उत्पन्न होगी तो आज की भाँति आप सभी पदाधिकारियों को इस इकाई का संचालन बंद कराने भी आना होगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस योजना से यहाँ के स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा तथा यह भी ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण की समस्या न हो। यह लोक सुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित है। अतः अधिग्रहण किये गये भूमि मुआवजा के संबंध में जिला प्रशासन से जानकारी प्राप्त करें। इसप्रकार श्री निरंजन कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
--	--	--

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आपलोग की बात का ध्यान रखा जायेगा। फैक्ट्री लगने से पहले स्थानीय जनता को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं हो। स्थानीय लोगो को रोजगार मिलना चाहिए।

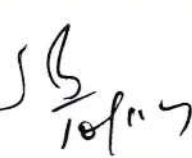
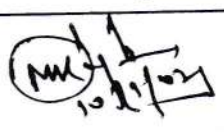
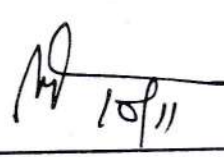
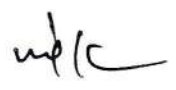
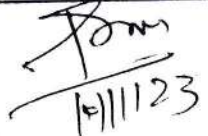
अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में लोक सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उपस्थित जनता की सुझाव को संग्रहित कर इस परियोजना की स्थापना के संबंध में वृत्त की प्रति (अनुलग्नक सहित) नियमानुकूल अग्रेतर कारवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को भेजने की अनुसंधा के साथ लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।


 क्षेत्रीय पदाधिकारी
 बि.रा.प्र.नि.पर्वद,
 गया


 अपर समाहर्ता,
 नवादा

उपस्थिति सूची

श्री मनोज कुमार, उप महा प्रबंधक, बियाडा, गया कलस्टर, बिहार
अद्यौगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी
मैदान, पटना 800004 द्वारा ग्राम- मौसमा, ब्लॉक- वारिसलीगंज,
जिला- नवादा में प्रस्तावित Standalone Cement Grinding
परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते लोक-सुनवाई
का प्रस्तावित Standalone Cement Grinding परियोजना हेतु
पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 10.11.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में
अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला-नवादा में आयोजित लोक
सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ujjwal Kumar Singh	Add. Collector Cenn. Add. Dist. Magistrate Nawada	
2.	मनोज कुमार सिंह	क्षेत्रीय पर्यावरणीय, विज्ञान प्र. नि. पं. नि. जय	
3.	चन्द शैखर सिंह	कार्यकारी निदेशक बियाडा	
4.	Namaj Kumar	D. G. N. BIADA GAYA Cluster	
5.	Bram Kumar	C.O., Warisli	
6.	MUKESH KUMAR	जिला खान 48/5 19151	
7.	PRASHANT KUMAR, SRIVASTAVA	Asst Area Manager I/A. Warisli	
8.	Pandis Kumar Srivastava	Consultant Prakash	

9.	मय अरविद्वारा	ग्राम गडुका	अरविद्वारा
10.	Rishabh Kumar	Vill - Champura Warisalgaon.	Rishabh.
11.	उमेश सिंह	ग्राम वेल्का	उमेश सिंह
12.	Makesh Kumar	Vill - Champura - Warisalgaon	Makesh Kumar
13.	Sahdeo Prasad	Shahpur Warisalgaon	Sahdeo Prasad
14.	नये विजय सिन्हा	कजिपली	नये
15.	राज कुमार सिंह	कजिपली	Raj Kumar Singh
16.	महेश पाण्डे	वड्ड 24	महेश पाण्डे
17.	Vandana Devi	देवशपुरा	Vandana
18.	सियाराम सिंह	नारोमुडा	सियाराम सिंह
19.	शंभु कुमार	दरवेशपुरा	शंभु कुमार

20.	मदन सिंह	जामनापुर रास्ता	मदन सिंह
21.	शिव कुमार	दास	शिव कुमार
22.	राजेश चंद	मोहन	राजेश चंद
23.	अनील कुमार	मोहन रोना कोरवा	अनील कुमार
24.	विकास कुमार	चैनापुरा	विकास कुमार
25.	मंजेश सिंह	चैनापुरा	मंजेश सिंह
26.	उदय सिंह	वैष्णवा	उदय सिंह
27.	सरपुगा सिंह	गडुआ	सरपुगा सिंह
28.	राजेश कुमार	मोहनपुरा कांचगांव	राजेश कुमार
29.	जीतन चंद	मोहन रोना आलीपुर	जीतन चंद
30.	महेश मंत्री	वासोचक	महेश मंत्री

31.	राधवृक्ष गंगोत्री	खानापुर	राधवृक्ष
32.	श्रीराम पटवर्धन	कोरमा	श्रीराम पटवर्धन
33.	पंकज कुमार	खानापुर	पंकज कुमार
34.	शकुल कुमार	मालिंक	Rohel Kumar
35.	नीलेश कुमार	खानापुर	neelesh kumar
36.	Babankumar	कोरमा	Babankumar
37.	Abhay Kumar	Barh	Abhay Kumar
38.	Pragmani Kumar	Railly	PR
39.	Ramgopal Kumar	mahadevBigha	Ramgopal Kumar
40.	हरि जादव	खानापुर	हरि जादव
41.	Gautam Kumar	Kochgaon	Gautam Kumar

42.	Gopi kumar	o/pura	Gopi kumar
43.	Takul/lu	Gogpur	Pok
44.	Uday Kumar वाडी प्रानि निधि	नगर जरीलद वाडील लीकाल मुडलाराक वाड-08	Uday Kumar
45.	शमशरण गे	खैरपुरा	शमशरण गे
46.	विनेश्वर भादव	रवागा 32	विनेश्वर भादव
47.	गुरु भूषण प्रशद सिंह	चैतपुरा	गुरुभूषण
48.	Amit kumar Singh	ठाक. लोटापुरा	Amit K. Singh
49.	Jitendra kumar	Barh, Patna	Jitendra
50.	कृष्ण चंद्र सिंह	खैरपुरा	कृष्ण चंद्र सिंह
51	रामजी लाराओ	वायम प्रमारी	रामजी लाराओ
52	अशोक कुमार	मीर्य का	अशोक
53	दिल्ली भादव	कांदा	
54	रमेश कुमार	खिमरी रोड	रमेश
55	मीर्य सिंह	मीरमा	मीर्य

56	Suman Kumar	AT DAVESH PORA	~~Suman~~
57	Dhuvendra Singh		~~Dhuvendra Singh~~
58	ROHIT KUMAR	SAMBEY - (WAR)	Rohit Kumar
59	Ravish Kumar	Sambe	Ravish Kumar
60	Deepak Kumar	Sambe	Deepak
61	Manoj Kumar	Sambe WRS	M. B. K.
62	Ekta Kumar	Sambe - TTD 1821992	~~Ekta~~
63	Kundan Kumar	Dehota Hason	~~Kundan Kumar~~
(64)	AJEET KUMAR	KESHOURI	AJEET KUMAR
(65)	Manoj Kumar	Khamapur	Manoj Kumar
66	P. K. Singh	Chenpm.	~~P. K. Singh~~
67	Gopi Kumar	Odpara	Gopi Kumar



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्



ई-मेल. msbspbcb-bih@gov.in, वेबसाइट-<http://bspbcb.bihar.gov.in>

लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या 2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तावक: श्री मनोज कुमार, उप महा प्रबंधक,, बियाडा, गया कलस्टर, बिहार अद्यौगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना 800004 द्वारा ग्राम- मौसमा, ब्लॉक- वारिसलीगंज, जिला- नवादा में प्रस्तावित Standalone Cement Grinding परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference No.-334, dated: 27.09.2023) निर्गत की गयी हैं तथा लोक-सुनवाई की जानी हैं।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया हैं। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद् मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, नवादा; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नवादा; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद् के वेबसाइट: <http://bspbcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद् कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद् के ई-मेल: msbspbcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

दिनांक:	समय	ब्लॉक का नाम	प्रस्तावित स्थल का मौजा	लोक-सुनवाई का स्थल
10.11.2023	अपराह्न 02:00 बजे	वारिसलीगंज जिला-नवादा	मौसमा	अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला-नवादा

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध हैं कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेगें।

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

PR- 009798 (Ni.Ni.) 2023-24

सदस्य सचिव

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार